निर्णय बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 27.03.2024

प्रकरण संख्या : 4 / दावा / 2021 तारीख दायरा :– 08.01.2021

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2021 / 3

उनवान

1– धन्नालाल पुत्र कालू जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

2– धापूबाई पुत्री कालू जोजे प्रभूलाल जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा हाल निवासी सरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

3– बंशीलाल पुत्र कालू जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

4– मोतीलाल पुत्र कालू जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

5– राधीबाई पुत्री कालू जोजे अमरलाल जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा हाल निवासी कोटडी तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

6– लछमन पुत्र कालू जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

–– वादीगण

बनाम

1– जगन्नाथ पुत्र लच्छीराम जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

2– लालचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

3– छोटूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

4– बनवारी पुत्र जगन्नाथ जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

5– रमेश पुत्र जगन्नाथ जाति लोढा तंवर निवासी मदनपुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 27.03.2024

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता श्री दुर्गाशंकर गोयल द्वारा 183 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम मदनपुरा तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 60 की खसरा नम्बर 356 / 292 की 0.8094 हैक्टेयर आराजी वादीगण के खातेदारी की स्थित है। वाद में वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने 2 वर्ष पूर्व आषाढ माह में लडाई झगडे के बल पर जबूरन कब्जा कर लिया तथा प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत अतिक्रमी है। वादी प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा पर से बेदखल करवाकर कब्जा आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 05.10.2020 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वाद में वर्णित आराजी से कब्जा छोडने की कहने पर तथा लडाई झगडा करने पर आमादा होने से तथा प्रतिवादी द्वारा कब्जा छोडने की मना करने पर उत्पन्न हुआ। अतः वादी को ग्राम मदनपुरा तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 60 की खसरा नम्बर 356 / 292 की 0.8094 हैक्टेयर आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगायात 5 को बेदखल कर नापकर कब्जा आराजी संभलाया जावें। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.25 11:11:07 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी द्वारा एकतरफा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम मदनपुरा तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 60 की खसरा नम्बर

356 / 292 की 0.8094 हैक्टेयर आराजी वादी के खातेदारी मे दर्ज है। वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायात 5 ने अर्सा 2 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है । अतः प्रतिवादीगण 1 ता 5 को बेदखल कर कब्जा आराजी वादी को संभलाया जावे।

वकील वादी की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम मदनपुरा संवत 2073–76 की खाता संख्या 60 जिसको EXP-1 से प्रदर्षित किया गया है प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मदनपुरा तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 60 की खसरा नम्बर 356 / 292 की 0.8094 हैक्टेयर आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को नापंकर संभलाया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.25 11:11:07 IST
Reason: SelfAttested